



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:- 119/2023 जी.सी.एम.एस नं० 2023/321

1. सार्थक शर्मा आयु 03 वर्ष
2. कार्तिक शर्मा आयु 05 वर्ष
- पुत्रान विकास शर्मा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन पत्नी विकास शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गीला की नांगल तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल आबाद ग्राम श्यामपुरास कचौलिया वार्ड नम्बर 04 तहसील बस्सी जिला जयपुर राज०।

—:वादीगण:—

- बनाम
1. विकास पुत्र स्व० रामदयाल
 2. विनोद पुत्र स्व० रामदयाल
 3. धन्नी पत्नी स्व० नहनूराम
 4. प्रकाश पुत्र स्व० नहनूराम
 5. रामराय पुत्र स्व० नहनूराम
 6. पार्वती देवी पत्नी रामदयाल
 7. समस्त जाति ब्राहमण निवासी गीला की नांगल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 8. शाखा प्रबन्धक जरिये आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा गीला की नांगल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 9. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगण:—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री कमल किशोर शर्मा, एड० वादीगण

पर्चा डिक्री

दिनांक 31/01/2025

दावा वादीगण बीबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 177/1 रकबा 0.2782 है०, ख.नं. 203/1 रकबा 0.5058 है०, ख.नं. 95/1 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.0875 हैक्टेयर वाके ग्राम गीला की नांगल तहसील बस्सी में प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्से खातेदारी 1/12 में से वादीगण को हिस्सा 1/36 - 1/36 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

यह निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर